

कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान

पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008 (म.प्र.)

दूरभाष : 0761-2665540, फ़ैक्स : 0761-2661304

email: mpsfri@mp.gov.in, mpsfri@gmail.com Website : www.mpsfri.org

No/ NIT/SFRI/Store/Pro_2/ 2270

Jabalpur, Dated 04/09/2024

ई-निविदा Website : <https:mptenders.gov.in>

वाहन किराये पर लेने हेतु (Hiring of Vehicle)

संस्थान को किराये पर वाहन प्रदाय हेतु ई-निविदा <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र <https://mptenders.gov.in> वेबसाईट पर दिनांक 06.09.2024 से उपलब्ध होगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी, अन्य माध्यम से प्रस्तुत निविदा अमान्य रहेंगी। ई-निविदा हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

Tender Fee in Rs.	:	1000/-
EMD in Rs.	:	15,000/-
Published Date	:	06/09/2024 15:00hrs.
Document Download / Sale Start Date	:	06/09/2024 15:00hrs.
Bid Sumission Start Date	:	06/09/2024 15:00hrs.
Pre Bid Meeting	:	13/09/2024 11:00hrs.
Document Download/ Sale End Date	:	27/09/2024 15:00hrs.
Bid Sumission End Date	:	27/09/2024 15:00hrs.
Bid Opending date	:	30/09/2024 16:00hrs

कृपया निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढकर भरें।


संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र (सामान्य विवरण)

1. कार्य का नाम जिसके लिए निविदा दी जा रही है
2. निविदाकार कंपनी/फर्म का नाम
3. निविदाकार का पूरा पता
- दूरभाष नं./मोबाईल नं.
- ईमेल:
4. कंपनी/फर्म/निदेशक का नाम
5. (i) वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (GSTIN)
- (ii) आयकर विभाग का PAN क्रमांक
6. ऑनलाइन जमा की गई प्रतिभूति (EMD) राशि का विवरण
1. बैंक का नाम
2. शाखा का नाम/IFSC कोड
3. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक
4. राशि अंको में
5. राशि शब्दों में

घोषणा पत्र

एतद द्वारा मैं (निविदाकार का नाम)
पुत्र..... आयु..... वर्ष..... निवासी.....

यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है उस कार्य से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें (Tender Document) ध्यान पूर्वक पढ़ ली गई है एवं सभी शर्तें मुझे स्वीकार है।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

मो./फोन नं.

दिनांक :

स्थान

कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान
पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008 (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र भरने एवं प्रस्तुत करने के संबध में निर्देश


- (1) किराये के वाहन प्रदाय हेतु निविदाकार के पास में स्वयं के स्वामित्व की ट्रैवल्स एजेन्सी/मालिकाना फर्म होना चाहिये।
- (2) निविदाकार द्वारा विगत 03 वर्षों में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी संलग्न करें।
- (3) निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व मानक (**Specification**) का अच्छी तरह से अध्ययन करें यदि कोई कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो संस्थान में आकर संबंधित अधिकारी से चर्चा करें।
- (4) सफल निविदाकार की निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अंदर संस्थान के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में करारनामा निष्पादित नहीं करने पर प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदाकार को संस्थान की काली सूची में तीन वर्षों के लिए दर्ज किया जावेगा। यह अनुबंध निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के लिए होगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित प्रदाय दरों पर किराये के वाहन प्रदाय करने हेतु बाध्य होंगे।
- (5) निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाइन जमा की गई प्रतिभूति (**EMD**) राशि रु. **15,000/-** का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की छायाप्रति लगाना आवश्यक है। जोकि संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय हो।
- (6) कृपया यह सुनिश्चित करें कि निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि तथा समय तक <https://mptenders.gov.in> पर Upload हो जायें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
- (7) संचालक को किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (8) निविदाकार निविदा निम्नानुसार ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> पर जमा करेंगे।

Envelope A – निविदाकार को निविदा के साथ निम्नलिखित अभिलेख स्वयं हस्ताक्षरित कर संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

- (1) ऑनलाईन जमा की गई प्रतिभूति राशि (**EMD**) का छायाप्रति
- (2) वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (**GSTIN**)
- (3) आयकर विभाग का PAN की छायाप्रति
- (4) निविदा नियम एवं शर्तें (**Annexure-1**)
- (5) **Specification (Annexure-2)**
- (6) **Bidders Agreement Form (करारनामा) (Annexure-3)**
- (7) निविदाकार द्वारा विगत 03 वर्षों में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी
- (8) **Declaration regarding Black Listing/Non-Black Listing Form (Annexure-4)**

Envelope B – BOQ—निविदाकार द्वारा किराये के वाहनों हेतु प्रस्तावित दरें ।

- (9) (i) सर्वप्रथम **Envelope A** निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोला जावेगा एवं संलग्न अभिलेखों का मूल्यांकन किया जावेगा। यदि **Envelope A** में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, ऐसी स्थिति में **Envelope B** नहीं खोला जावेगा। तत्पश्चात निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपयुक्त पाये निविदाकारों के **Envelope B (BOQ)** खोला जावेगा।
- (ii) प्राप्त निविदाओं में से सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकृत की जावेगी। फिर भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत की जाने वाली निविदाओं में उपरोक्त शर्तों से भिन्न कोई शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- (8) इस सूचना से संबंधित कार्यों से उत्पन्न मतभेद/विवाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा।



संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर (म.प्र.)

किराये के वाहन प्रदाय हेतु नियम एवं शर्तों

- (1) किराये के वाहन प्रदाय हेतु निविदाकार के पास में स्वयं के स्वामित्व की एजेन्सी/मालिकाना फर्म होना चाहिये।
- (2) निविदा में क्रिस्टा ईनोवा, महिन्द्रा स्कार्पियो, महिन्द्रा बुलेरो, मारुति डिजायर के लिए एसी/नान एसी एवं बसों के लिए नान एसी किराये की दरों का उल्लेख पृथक-पृथक किया जावे। वाहनों की दरें बिना पी.ओ.एल. की समस्त करों सहित दी जावे।
- (3) वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। तथा वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
- (4) प्रदायित वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- (5) प्रदाय किये जाने वाले वाहनों के उपयोग हेतु टोल टैक्स का प्रदाय संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (6) वाहन ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन की टूटफूट एवं रखरखाव के समस्त व्यय वाहन मालिक/फर्म को वहन करना होगा। वाहन चालक को लाइसेंस धारी होनी चाहिये तथा उसका आचरण अनुशासित होना चाहिये। उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये।
- (7) वाहन एजेंसी पर देय समस्त शासकीय/अन्य करों आदि के नियमानुसार भुगतान का व्यय वाहन किराये पर देने वाले मालिक/संस्था का होगा।
- (8) किराये का वाहन बीमित होना चाहिए तथा वाहन के साथ कोई दुर्घटना एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिए समस्त उत्तरदायित्व वाहन किराये पर देने वाली एजेंसी का होगा।
- (9) वाहन किराये पर लेने की अवधि/वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- (10) वाहनों का प्रदाय आवश्यकतानुसार समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रदाय आदेशों में दर्शित निर्देशों के तहत किराये के वाहनो को संस्थान में प्रदाय करना होगा।
- (11) किराये पर प्रदाय किये गये वाहनों का किराये का भुगतान वाहन प्रभारी/किराये पर ले जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रदायित बिल का सत्यापन के उपरांत ही किया जा सकेगा।
- (12) डीजल भराने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।
- (13) सफल निविदाकार को निष्पादन राशि (Performance Guarantee) रू. 15,000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय करारनामों के साथ जमा करना होगा।
- (14) यह निविदा दरें 1 वर्ष के लिये आमंत्रित हैं, सफल निविदाकार एवं संस्थान दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर समान दरों पर आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
- (15) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रथम एवं द्वितीय बार में क्रमशः रू. 1000/- तथा 2000/- अर्थदण्ड के रूप में वसूला जावेगा एवं तीसरी बार शर्तों का उल्लंघन करने पर समस्त प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं निविदा की शेष अवधि के लिए किसी अन्य फर्म से कार्य कराने के लिए संस्थान स्वतंत्र होगा।

- (16) उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
- (17) वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब, बैटरी सदैव अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर चालू हालत में होना चाहिए।
- (18) वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन भालिक/फर्म की होगी। वाहन से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का उत्तरदात्वि प्रथम पक्ष का होगा। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा।
- (19) निविदा में प्रस्तावित दरों में समस्त कर शामिल रहेगा।
- (20) निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर धरोहर राशि एक माह के अंदर वापस कर दी जावेगी।
- (21) इस सूचना से संबंधित कार्यों से उत्पन्न मतभेद/विवाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा।


संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर (म.प्र.)


किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की सूची (Specification)

अनु.	किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का विवरण	यूनिट
	1. दरें प्रतिदिन नाइट हाल्ट एवं बिना पी.ओ.एल की समस्त करों सहित दी जावे।)	
1	क्रिस्टा ईनोवा वाहन – एसी	Each
2	क्रिस्टा ईनोवा वाहन – नान एसी	Each
3	महिन्द्रा स्कार्पियो वाहन – एसी	Each
4	महिन्द्रा स्कार्पियो वाहन – नान एसी	Each
5	महिन्द्रा बुलेरो वाहन – एसी	Each
6	महिन्द्रा बुलेरो वाहन – नान एसी	Each
7	मारुति डिजायर – एसी	Each
8	मारुति डिजायर – नान एसी	Each
9	बस 28 सीटर (स्वराज माजदा/ आईसर/ मीत्सुविश) – नॉन एसी	Each
10	बस 40 सीटर (स्वराज माजदा/ आईसर/ मीत्सुविश) – नॉन एसी	Each

टीप:- 1. प्रतिदिन किराया जिस निविदाकार की दरें न्यूनतम पाई जावेगी उसे L-1 माना जावेगा।

2. दरें प्रति दिवस (24 घंटें) हेतु रहेगी। 24 घंटे के उपरांत यदि पूर्ण दिवस का वाहन का उपयोग संस्थान द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे के उपरांत अतिरिक्त अवधि के लिए किराये का भुगतान 6-6 घंटे के ब्लॉक में किया जावेगा, जो स्वीकृत निविदा दर एक चौथाई होगा।

3. वाहन के एवरेज अनुक्रमांक 1 से 8 तक एसी वाहन हेतु 11 किमी प्रतिलीटर एवं नान एसी वाहन हेतु एवरेज 12 किमी प्रतिलीटर तथा बिन्दु क्रमांक 9 एवं 10 हेतु वाहन का एवरेज 5 किमी प्रतिलीटर, से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक का एवरेज होने पर उसका उपयोग संस्थान द्वारा किया जावेगा, जिसका की कोई भुगतान फर्म को नहीं किया जावेगा।


संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

मो./फोन नं

दिनांक :

स्थान :

(ENVELOPE- A)

No/NIT/SFRI/Store/Pro_2/2270

Jabalpur, Dated : 04/09/2024

1. I/We hereby declare that I/We have read and understood all the tender document along with terms and conditions of the No/NIT/SFRI/Store/Pro_2/_____ dated _____ and agree to abide by the same.
2. I/We enclose herewith the details of
 - (1) आनलाईन जमा की गई प्रतिभूति राशि (EMD) का छायाप्रति
 - (2) वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (GSTIN)
 - (3) आयकर विभाग का PAN की छायाप्रति
 - (4) निविदा नियम एवं शर्तें (Annexure-1)
 - (5) Specification (Annexure-2)
 - (6) Bidders Agreement Form (करारनामा) (Annexure-3)
 - (7) निविदाकार द्वारा विगत 03 वर्षों में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी
 - (8) Declaration regarding Black Listing/Non-Black Listing From (Annexure-4)
3. In the event of my/our failure to abide by the conditions of this agreement and all the terms and conditions of the tender notice. I/We..... shall be liable to pay such penalty, as may be levied under the terms and conditions of the tender notice .

Signature
Full Name of the Tenderer.....
Complete Address
Mobile/Tel. No.
E-mail id :

Date


Place

Bidders Agreement Form (करारनामा)**संस्थान में किराये का वाहन प्रदाय करने बावत**

..... (प्रथम पक्ष) व कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (द्वितीय पक्ष)।

- (1) किराये के वाहन प्रदाय हेतु निविदाकार के पास में स्वयं के स्वामित्व की एजेन्सी/मालिकाना फर्म होना चाहिये।
- (2) निविदा में क्रिस्टा ईनोवा, महिन्द्रा स्कार्पियो, महिन्द्रा बुलेरो, मारुति डिजायर के लिए एसी/नान एसी एवं बसों के लिए नान एसी किराये की दरों का उल्लेख पृथक-पृथक किया जावे। वाहनों की दरें बिना पी.ओ.एल. की समस्त करों सहित दी जावे।
- (3) वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। तथा वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
- (4) प्रदायित वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- (5) प्रदाय किये जाने वाले वाहनों के उपयोग हेतु टोल टैक्स का प्रदाय संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (6) वाहन ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन की टूटफूट एवं रखरखाव के समस्त व्यय वाहन मालिक/फर्म को वहन करना होगा। वाहन चालक को लाइसेंस धारी होनी चाहिये तथा उसका आचरण अनुशासित होना चाहिये। उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये।
- (7) वाहन एजेन्सी पर देय समस्त शासकीय/अन्य करों आदि के नियमानुसार भुगतान का व्यय वाहन किराये पर देने वाले मालिक/संस्था का होगा।
- (8) किराये का वाहन बीमित होना चाहिए तथा वाहन के साथ कोई दुर्घटना एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिए समस्त उत्तरदायित्व वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी का होगा।
- (9) वाहन किराये पर लेने की अवधि/वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- (10) वाहनों का प्रदाय आवश्यकतानुसार समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रदाय आदेशों में दर्शित निर्देशों के तहत किराये के वाहनो को संस्थान में प्रदाय करना होगा।
- (11) किराये पर प्रदाय किये गये वाहनों का किराये का भुगतान वाहन प्रभारी/किराये पर ले जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रदायित बिल का सत्यापन के उपरांत ही किया जा सकेगा।
- (12) डीजल भराने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।
- (13) सफल निविदाकार को निष्पादन राशि (Performance Guarantee) रू. 15,000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय करारनामों के साथ जमा करना होगा।

- (14) यह निविदा दरें 1 वर्ष के लिये आमंत्रित हैं, सफल निविदाकार एवं संस्थान दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर समान दरों पर आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
- (15) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रथम एवं द्वितीय बार में क्रमशः रु. 1000/- तथा 2000/- अर्थदण्ड के रूप में वसूला जावेगा एवं तीसरी बार शर्तों का उल्लंघन करने पर समस्त प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं निविदा की शेष अवधि के लिए किसी अन्य फर्म से कार्य कराने के लिए संस्थान स्वतंत्र होगा।
- (16) उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
- (17) वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब, बेट्री सदैव अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर चालू हालत में होना चाहिए।
- (18) वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन मालिक/फर्म की होगी। वाहन से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा।
- (19) निविदा में प्रस्तावित दरों में समस्त कर शामिल रहेगा।
- (20) निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर धरोहर राशि एक माह के अंदर वापस कर दी जावेगी।
- (21) इस सूचना से संबंधित कार्यो से उत्पन्न मतभेद/विवाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा।
- (22) उपरोक्त शर्तें बिन्दु क्रमांक 01 से 21 तक मुझे मान्य हैं


संचालक

राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म.प्र.)

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

मो./फोन नं

दिनांक :

स्थान :

DECLARATION

**DECLARATION REGARDING BLACK LISTING/NON-BLACK LISTING FROM TAKING
PART IN GOVT. TENDER BY GOVT. DEPT**

I/We Proprietor /Partner(s) Director (s) of M/s.....
hereby declare that the firm/company namely M/s..... has not
been black listed of Debarred in the past by any other Government organization from taking part in
Government tenders.

Or

I /We Proprietor /Partner (s) Director (s) of M/s.....
hereby declare that the firm/company Namely M/s.....was
black listed or declare by any other Government Department from taking part in Government tenders for
a period of.....years w.e.f.The period is over on
.....and Now the firm/company is entitled to take part in Government tenders.

In case the above information found false I/We are fully aware that the tender/company contract
will be Rejected/Cancelled by Director, SFRI and EMD/SD shall be forfeited.

Signature

Full Name of the Tenderer.....

Complete Address

Mobile/Tel. No.

E-mail id :

Date

Place